

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि./सीटीएडी/सब मर्सिबल पुल बुन्दन नदी पर/2018-19/

दि 6.9.19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

34612

विषय : सबमर्सिबल पुल का निर्माण कार्य कटुम्बी से चन्द्र रोड बुन्दन नदी पर पं.सं. छोटी सरवन के निर्माण हेतु राशि हस्तान्तरण के क्रम में।

प्रसंग : आपका पत्रांक परि/अधि./टीएडी/निर्माण/बांस./2019-20/क्रमांक 1277 दिनांक 21.06.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा सबमर्सिबल पुल का निर्माण कार्य कटुम्बी से चन्द्र रोड बुन्दन नदी पर पं.सं. छोटी सरवन स्वीकृत राशि 987.60 लाख रु की स्वीकृति जारी की गई थी।

शासन की स्वीकृति संख्या-52/2018-19 दिनांक 16.01.2019 द्वारा आयुक्तालय में प्राप्त राशि में से 106.29 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न-उपरोक्तनुसार।

भवदीय

(अंजली राजोरीया) IAS
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

क्र. एफ-5/अभि./सीटीएडी/सब मर्सिबल पुल बुन्दन नदी पर/2018-19/
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

34612-19

दि 6.9.19

1. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाडा।
2. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि शासन की स्वीकृति संख्या-52/2018-19 दिनांक 16.01.2019 प्राप्त राशि में से 106.29 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को हस्तांतरण करे।
3. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त बांसवाडा।
4. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम बांसवाडा।
5. निदेशक, मोनितरिंग, कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
7. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)